

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

को समाप्त तिमाही रिपोर्ट

अधिकारी का फोन नं.-..... अनुभाग

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात*

(क) जारी किए गए कुल कागजात

(ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गए कागजात

* इनमें 1.संकल्प, 2.सामान्य आदेश, 3.नियम, 4. अधिसूचना, 5.करार, 6.संविदाएं, 7. प्रेस-विज्ञप्तियां, 8.अनुज्ञापत्र, 9.अनुज्ञप्तियां, 10.निविदा सूचनाएं, 11.निविदा प्रस्ताव, 12.संसदीय प्रश्न, 13. संसदीय रिपोर्ट, एवं 14. प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट शामिल हैं।

2. हिन्दी में प्राप्त पत्रः-

(क) हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या

(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए

(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए

(घ) इनमें से कितनों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं था

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाना (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिये गए भी दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिये गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
1	2	3	4
'क' क्षेत्र से			
'ख' क्षेत्र			

4. भेजे गये कुल पत्रों का ब्यौरा (इसमें ई-मेल द्वारा भेजे गए पत्रों की संख्या भी शामिल की जाए)

हिन्दी/द्विभाषी	भेजे गए पत्रों की संख्याएँ			हिन्दी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	केवल अंग्रेजी में	कुल		
		1	2	3
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				

'क' क्षेत्र -दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उत्तरखण्ड, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह।

'ख' क्षेत्र- महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चण्डीगढ़ दमण-द्वीप, दादरा एवं नागर हवेली।

'ग' क्षेत्र- तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल।

5. फाइलों पर हिन्दी में कार्य (तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियां) -

हिन्दी में	अंग्रेजी में	कुल संख्या	हिन्दी टिप्पणियों का प्रतिशत

नामः

पदनामः

फोन नं.